को पेश हो।

9.5.18 नावला पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते प्रथम कार्यवाही दिनांक 15-6-18 को पेश हो।

15.6.18 [illegible] पेश हुई। [illegible] नहीं। राजीनामा [illegible]। अतः पत्रावली [illegible] 16.7.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

16.7.18 नावला पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते प्रथम कार्यवाही दिनांक 18-7-18 को पेश हो।

18 पत्रावली पेश अर्थी दरीक आवेदकगण उपस्थित प्रार्थना पत्र के मूलवाद 113/2017 को दिनांक 15.6.18 को राजीनामा के निर्णित हो चुका है। चूंकि मूल वाद के निर्णित होने के बाद पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है प्रार्थना पत्र आवेदकगण स्वीकार किया जाता है क्योंकि सरकार निर्णय दि. 5.7.2017 खारीज की जाती है पत्रावली बंद हुआ होना तय है करते हैं तथा वाद तकमील कार्यवाही जाबता दीवानी [illegible] निर्णय आज दि. 18.7.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़